सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1930 शकाब्द

संख्या 517 रॉंची, शुक्रवार 11 जुलाई, 2008

## मानव संसाधन विकास विभाग

------

### अधिसूचना

11 जुलाई, 2008

संख्या--6/अ8-11/2006-1902--झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 की धारा 26(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निजी प्रबंधन में संचालित गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के उन्नयन बेहतर संगठन एवं विकास के साथ-साथ पठन-पाठन एवं प्रबंध और संचालन व्यवस्था के समुचित विकास के लिए, झारखण्ड के राज्यपाल राज्य में सामान्य एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं : -

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(क) यह नियमावली झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 कही जाएगी ।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ग) यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएँ :- जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में -

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 ।

(ख) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्तें एवं बंधेज) नियमावली, 2008 ।

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा'' से अभिप्रेत है, माध्यमिक स्तर (नवम् एवं दशम वर्ग) तक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था ।

(घ) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ।

(ड.) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का सचिव ।

(च) ''संस्था'' से अभिप्रेत है, अधिनियमों के उपबंधों के अधीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था ।

(छ) ''शासी निकाय'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किसी माध्यमिक विद्यालय का शासी निकाय।

(ज) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एवं परिषद् द्वारा माध्यमिक स्तर के लिए विहित पाठ्यक्रम

(झ) ''सत्र'' से अभिप्रेत है, शैक्षिक सत्र ।

(ञ) ''स्थापना अनुमति'' से अभिप्रेत है, अधिविद्य परिषद् से प्राप्त स्थापना अनुमति ।

(ट) ''प्रस्वीकृति'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार से प्राप्त विद्यालय की प्रस्वीकृति ।

(ठ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य की सरकार ।

जो शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो झारखंड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 में है ।

## स्थापना की अनुमति

3. झारखंड अधिविद्य परिषद की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नही की जाएगी ।

4 निम्नांकित शर्तों के अधीन परिषद् विद्यालय की स्थापना की अनुमति के लिए विचार करेगी ।

(I) प्रस्तावित विद्यालय किसी निबंधित न्यास, निकाय, सोसाईटी से संचालित होगा ।

(II) विद्यालय को प्रस्तावित करने वाला निकाय अथवा न्यास, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (अधिनियम 21, 1860) के अधीन निबंधित हो और कम से कम 07 सदस्यों का प्रबन्ध कारिणी समिति जिसमें एक ही परिवार के अथवा निकट संबंधी दो व्यक्ति सदस्य नही होना चाहिए ।

(III) विद्यालय प्रारम्भ करने के कम से कम 06 माह पूर्व झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क 10,000.00 (दस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पदनाम से जमा करना होगा तथा विद्यालय प्रबंधन का विद्यालय के शर्तों की पूर्ति के संबंध मे शपथ पत्र संलग्न करना होगा ।

(IV) विद्यालय खोलने के लिए अनुमति आवेदन पत्रों के आधार पर परिषद कार्यालय में वरीयता क्रम में पंजी का संधारण किया जाएगा, जो किसी कार्य दिवस को पंजी का अवलोकन किया जा सकेगा। पंजी का संधारण Digital Format में भी तैयार किया जा सकेगा । यह सूचना परिषद के अधिकृत web site पर उपलब्ध रहना चाहिए ।

(I) विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त अभिलेखों एवं साक्ष्य के आधार पर झारखंड अधिविद्य परिषद

यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय प्रस्तावित करने वाले न्यास, निकाय, अथवा सोसाइटी का

आवर्तक वार्षिक आय पर्याप्त है जिससे कि विद्यालय संचालन और कर्मियों का वेतनादि

भुगतान करने के लिए उक्त संस्था सक्षम है ।

(II) इसके खाते के सुरक्षा कोष में जमा करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा भवन

प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय निर्माण के लिए सुरक्षित कोष है ।

(III) प्रारम्भ में निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपये एवं शहरी

क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये का कोष, भवन, सुरक्षा कोष, पुस्तकालय,

प्रयोगशाला आदि के लिए पर्याप्त माना जाएगा ।

(IV) अपना भवन का निर्माण होने तक विद्यालय के पास वर्ग कक्ष और कार्यालय चलाने के

लिए कम से कम प्रत्येक छात्र पर 2½ वर्गफीट जगह वाली कमरा/भवन किराये पर या

निबंधित लीज पर होना चाहिए ।

(V) ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दो एकड़ एक खण्ड में और शहरी क्षेत्र में

50 डिसमिल एक खण्ड में भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा विद्यालय ने प्राप्त कर

लिया हो ।

(I) झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा उपरोक्त उपबंधों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त विद्यालय का

स्थापना अनुमति शर्तों की पूर्ति शपथ पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर, प्रदान कर सकेगा।

(परिशिष्ट-I)

(II) परिषद् से स्थापना की अनुमति जबतक प्राप्त नहीं हो जाए तबतक विद्यालय छात्रों का नामांकन

नहीं कर सकेगा ।

(III) स्थापना अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दी जाएगी ।

## प्रस्वीकृति

स्थापना अनुमति प्राप्त संस्था दो वर्ष के अन्दर प्रस्वीकृति के शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात्,

प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए पात्र होगी ।

नोट:- पूर्व में बिहार सरकार/झारखंड सरकार द्वारा दी गयी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को

भी इस नियमावली के अन्तर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

3. प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता : -

(क) भूमि : ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2 (दो) एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि

विद्यालय के नाम से निबंधित या 30 (तीस) वर्षों के निबंधित लीज पर होनी चाहिए।

(ख) भवन : विद्यालय को निम्नांकित संरचना के साथ अपना भवन होना चाहिए :

विद्यालय भवन में कुल 200 (दो सौ) छात्र/छात्राओं की संख्या के लिए 450 (चार सौ पचास)

वर्ग फीट का कम से कम 7 (सात) कमरे होने चाहिए जिसमें चार वर्गकक्ष तथा तीन प्रयोगशाला

के लिए होंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक कक्ष 144 वर्गफीट आकार का, पुस्तकालय 600

वर्गफीट आकार का एवं शिक्षक कक्ष 450 वर्गफीट आकार का होगा तथा शौचालय, पेयजल एवं

छात्र/छात्राओं के लिए कॉमन रूम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । भवन पक्का एवं छतदार

होगा। प्रत्येक वर्ग में 60 से अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिए अलग से एक उप-वर्ग की व्यवस्था

एवं तदनुसार वर्ग कक्ष की व्यवस्था करना होगा ।

(ग) प्रयोगशाला : विद्यालय की प्रयोगशालाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरू उपकरण, उपस्कर एवं अन्य आवश्यक सामग्री होनी चाहिए । जिसमें भौतिकी, रसायन और जी विज्ञान का अलग-अलग प्रयोगशाला होगी। (प्रयोगशाला में उपकरण की सूची परिशिष्ट-II रूप में संलग्न)

(घ) पुस्तकालय : पुस्तकालय में कम से कम 30,000.00 (तीस हजार) रु० की भाषा, समाज विज्ञा विज्ञान समूह की कुल 750 (सात सौ पचास) पुस्तकें अनुपातिक संख्या में होना चाहिए ।

(ङ) सुरक्षा कोष : विद्यालय के सचिव एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त पदनाम से 50,000.00 (पचा हजार) रु० का निकटतम डाकघर में राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर सावधि खाता में उतनी राशि जमा होनी चाहिए ।

(च) उपस्कर : विद्यालय में छात्र/छात्राओं के बैठने के लिए 5 फीट X 1.5 फीट लम्बाई का क से कम 70 जोड़ी बेंच, डस्क उपलब्ध रहेंगे । इसके अतिरिक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्य के लिए पर्याप्त संख्या में उपस्कर (टेबल, कुर्सी एवं आलमीरा) इत्यादि होना चाहिए।

(छ) खेल सामग्री : फुटबॉल/वॉलीबॉल/हॉकी, इन्डोरगेम की सामग्रियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए

(ज) वैज्ञानिक साधित्र एवं शैक्षणिक उपकरण : विद्यालय में उपकरण/उपस्कर न्यूनतम 20,000.0 रु० (बीस हजार रु०) के शैक्षणिक उपकरण होना चाहिए। (परिशिष्ट-III)

(झ) कम्प्यूटर : विद्यालय में छात्रों को कम्प्यूटर के शिक्षण देने हेतु कम से कम दो अद्यतन मॉडल के कम्प्यूटर प्रिंटर तथा कम्प्युटर अनुदेशक के साथ होना चाहिए । लेकिन विशेष परिस्थिति इस शर्त में सरकार द्वारा दो साल की छूट दी जा सकती है ।

(ञ) आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था जैसे अग्निशमन, तड़ित चालक आदि होनी चाहिए ।

३ (क) शिक्षक एवं शिक्षकत्तर कर्मियों की मानक संख्या : विद्यालय में न्यूनतम 200 छात्र/छात्राओं तक के लिए निम्न रूप से शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी होनी चाहिए ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (I) | प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका | - | 01 |
| (II) | भाषा समूह के शिक्षक | - | 03 (1 पद अंग्रेजी, 1 पद हिन्दी भाषा के लिए अनिवार्य होगा एवं 1 पद क्षेत्रीय भाषाओं के लिए होगा) |
| (III) | समाज विज्ञान समूह के शिक्षक | - | 03 |
| (IV) | विज्ञान समूह के शिक्षक | - | 03 |
| (V) | शारीरिक अनुदेशक | - | 01 |
| (VI) | लिपिक | - | 01 |
| (VII) | आदेशपाल | - | 02 |
| | कुल | - | 14 |

(ख) शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता : भारत गणराज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कम से कम स्नातक उतीर्ण योग्यता के अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित प्रशिक्षित योग्यता के अनुरूप होगी। जिस विषय में शिक्षक की नियुक्ति होगी उस विषय में स्नातक स्तर पर सभी कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए तथा बी०एड० की डिग्री होनी चाहिए ।

(ग) प्रस्वीकृत विद्यालय के शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकोउन्मुखी
कार्यक्रम/प्रशिक्षण में भाग लेना होगा ।
वेतन भुगतान : विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का मासिक वेतन
(घ) भुगतान निकटतम राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के क्रॉस चेक माध्यम से होना चाहिए ।
(ङ) शिक्षकों की नियुक्ति : शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा की जाएगी,
जिसमें राज्य सरकार की आरक्षण नीति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा
(च) सेवा शर्त : विद्यालय के शासी निकाय/न्यास, सोसाईटी के द्वारा उल्लेखित संविधान एवं
राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी नियम एवं प्रावधानों के आलोक में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों
के लिए सेवा शर्त के प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक विद्यालय एक सेवा शर्त नियमावली
का निर्माण करेगी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त एवं प्रचलित कानून पर आधारित होगा ।
इस नियमावली को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से औपचारिक अनुमोदन कराना आवश्यक
होगा ।

(छ) अनुशासनिक कारवाई : शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी पर अनुशासनिक कारवाई करने
के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति सक्षम होगा । उक्त कार्रवाई के विरुद्ध शिक्षक एवं
शिक्षकेतर कर्मचारी, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकेंगे । इसमें
न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति के लिए मानना बाध्यकारी
होगा ।

10. (क) प्रस्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा विद्यालय के स्थल का जांच कराया
जायेगा ।

जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति निम्न रूप से परिषद् द्वारा गठित होगी ।
(I) संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी संयोजक होंगे ।
(II) झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा दो मनोनीत सदस्य होंगे ।
(ख) जांच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों/कागजातों के आधार पर परिषद् तीन माह
के अन्दर इस बिन्दु पर अपना मंतव्य गठित करेगी कि संबंधित विद्यालय नियम 3 एवं 9 में अंकित
सभी शर्तों को पूरा करती है या नहीं ।
(ग) जो विद्यालय निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है उनके आवेदन कारणों का उल्लेख करते
हुए परिषद् द्वारा लौटा दिये जाएँगे ।
(घ) जो विद्यालय सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करती है उनके आवेदन अनुलग्नक कागजातों
सहित स्पष्ट अनुशंसा के साथ परिषद् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजेंगी ।
(ङ) अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा माध्यमिक विद्यालय
को सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।
(च) प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय ही अपने विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा का फॉर्म स्वतंत्र रूप
से भरा सकेगा ।

किन्तु वैसे विद्यालय जिन्हें इस नियमावली प्रख्यापन के पूर्व से स्थापना अनुमति प्राप्त है,
उन्हें 2 वर्षों की छूट दी जाती है। अर्थात् इस 2 वर्ष की अवधि में विद्यालय प्रस्वीकृति
प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उन विद्यालय के छात्र/छात्राएँ विद्यालय नाम से माध्यमिक परीक्षा में
सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।

11. प्रस्वीकृति हेतु आवेदन के समय इस आशय का शपथ पत्र संलग्न रहना चाहिये कि विद्यालय भविष्य में अधिग्रहण/सरकारीकरण का कोई दावा नही करेगा न ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (प्रधानाध्यापक सहित) एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का होगा। इस हेतु विद्यालय प्रबंधन पूर्णतः जिम्मेवार होगा ।

12. प्रस्वीकृति वापस लेने की शक्ति :

(क) यदि विद्यालय प्रस्वीकृति की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा हो ।

(ख) राज्य सरकार एव परिषद के नियमों या निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा हो ।

(ग) विद्यालय में घोर अव्यवस्था हो ।

(घ) यदि विद्यालय प्रबंधन का कार्यकलाप राष्ट्र विरोधी हो ।

(ड.) तव परिषद् द्वारा प्रस्वीकृति वापस लेने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के तहत विद्यालय का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा ।

13. राज्य सरकार की शक्ति :

(I) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी ।

(II) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई भी स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा ।

14. निरसन एवं व्यावृति :

(I) झारखण्ड राज्य माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति (शर्त एवं बन्धेज) नियमावली 2004 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(II) ऐसी निरसन होते हुए भी उस नियमावली द्वारा उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जे० बी० तुबिद,
सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट-I

## शपथ-पत्र

मैं ............................ पिता का नाम ............................ उम्र ........ वर्ष ग्राम ............................ थाना ............................ जिला ............................ प्रस्तावित विद्यालय ............................ का झारखण्ड अधिविद्य परिषद से स्थापना अनुमति हेतु दिये गये आवेदन के क्रम में शपथ पूर्वक सच-सच निम्नलिखित घोषणा करता हूँ :-

1. यह कि प्रस्तावित विद्यालय ............................ के द्वारा संचालित विधिवत निबंधित/न्यास/समिति/ ............................ है एवं निबंधित पता ............................ है जिसका निबंधन संख्या ............ दिनांक ............ है।

2. यह कि मैं उक्त न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति/ ............................ (पद का नाम) हूँ एवं इस शपथ-पत्र के माध्यम से की जा रही घोषणा को हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत एवं सक्षम हूँ। *(न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें)*

3. यह कि प्रस्तावित विद्यालय झारखण्ड अधिविद्य परिषद से स्थापना अनुमति के लिए निर्धारित सभी शर्तों एवं मानकों को पूरा करता है।

4. यह कि न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति राज्य में निजी विद्यालयों को झारखण्ड अधिविद्य परिषद से स्थापना अनुमति हेतु निर्गत सभी शर्तों को एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी शर्तों एवं भविष्य में समय-समय निर्गत निदेशों का अनुपालन करेगा।

5. यह कि न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति/विद्यालय देश एवं राज्य के विधानों, नियमों एवं परिनियमों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा और न ही किसी राष्ट्र-विरोधी कार्य में भाग लेगा अथवा उसके लिए उत्प्रेरित करेगा।

6. उपरोक्त कण्डिकाओं में की गई घोषणाओं में दी गई अंतर्वस्तु अथवा इसके किसी अंश को असत्य पाया जाता है अथवा दिये गये वचन का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो झारखण्ड अधिविद्य परिषद स्थापना की अनुमति वापस ले सकती है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

## सत्यापन

मैं ............................................................ शपथपूर्वक पुनः घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका-1 से 6 में दी गई अंतर्वस्तु सत्य है एवं उल्लिखित वचनबद्धता जाँच में असत्य पाए जाने पर राज्य सरकार मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर
शपथकर्त्ता

हस्ताक्षर
पहचानकर्त्ता अधिवक्ता
(नाम एवं पता सहित)

हस्ताक्षर
शपथ दिलानेवाले पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट–II

# CLASS IX: SCIENCE & TECHNOLOGY

## Equipments & Apparatus essential for Practicals

| Sl No. | Equipments/Apparatus | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Test Tubes | 10 sets |
| 2 | Boiling Tubes | 2 sets |
| 3 | Test tube stand | 20 |
| 4 | Test tube holder | 20 |
| 5 | Test tube brush | 20 |
| 6 | Round bottom flask | 10 |
| 7 | Flat bottom flask | 10 |
| 8 | Conical flask | 10 |
| 9 | Beaker | 30 |
| 10 | Burner | 20 |
| 11 | Reagent bottle | 10 |
| 12 | Funnel | 30 |
| 13 | Wire gauze | 30 |
| 14 | Tripod stand | 20 |
| 15 | China dish | 20 |
| 16 | Pestle and mortar | 10 |
| 17 | Watch glass | 20 |
| 18 | Pipette | 10 |
| 19 | Thermometer | 10 |
| 20 | Graduated cylinder | 10 |
| 21 | Ring stand | .5 |
| 22 | Glass rods | 20 |
| 23 | Magnets | 5 |
| 25 | Pair of tongs | 15 |
| 26 | Iron stand | 15 |
| 27 | Delivery tube | 30 |
| 28 | Spring balance (0-100 gwt) | 5 |
| 29 | Weight box | 5 |
| 30 | Slinky | 5 |
| 31 | Stop watch | 10 |
| 32 | Metre Scale (1m) | 15 |
| 33 | Bio(½m) | 15 |
| 34 | Plane slides | 5 sets |
| 35 | Cover slip | 15 |
| 36 | Forceps | 15 |
| 37 | Microscope | 10 |
| 38 | Prepared slides of different types of plant tissues | 5 sets |
| 39 | Spirit lamps | 15 |
| 40 | Preserved specimen of earthworm, cockroach, bony fish and bird | 5 sets |
| 41 | Magnifying glass | 10 |

# CLASS IX: SCIENCE & TECHNOLOGY

## Equipments & Apparatus essential for Practicals

| No. | Materials/Chemicals | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Common Salt | 500 g |
| 2 | Sugar | 500 g |
| 3 | Alum | 250 g |
| 4 | Distilled water | 5 litre |
| 5 | Sand | 1 kg |
| 6 | Starch | 250 g |
| 7 | Soap | 5 |
| 8 | Filter paper | 15 packets |
| 9 | Iron filings | 500 gm |
| 10 | Sulphur powder | 500 gm |
| 11 | Carbon disulphide | ½ litre |
| 12 | Dilute Hydrochloric acid | ½ litre |
| 13 | Dilute Sulphuric acid | ½ litre |
| 14 | Iron nails | 200 g |
| 15 | Thread | 5 reels |
| 16 | Copper sulphate | ½ kg |
| 17 | Magnesium strip | 250 g |
| 18 | Match box | 5 |
| 19 | Litmus paper | 5 packets |
| 20 | Zinc metal pieces | 200 g |
| 21 | Sodium Hydroxide | 500 g |
| 22 | Lead nitrate | 500 g |
| 23 | Ferrous sulphate | 500 g |
| 24 | Cotton wool | 500 g |
| 25 | Polythene bags | 250 g |
| 26 | Rubber cork | 15 |
| 27 | Pumice stones | 200 g |
| 28 | Needles | 1 pkt |
| 29 | Blade | 1 pkt |
| 30 | Safranine | 250 g |
| 31 | Glycerine | 250 g |
| 32 | Toothpic | 1 pkt |
| 33 | Methylene blue | 250g |
| 34 | Iodine | 500g |
| 35 | Chart of Spirogyra, Agarcius. Moss, Fern. Pinus (made cone and female cone) | 5 sets |

परिशिष्ट–III

# CLASS X: SCIENCE & TECHNOLOGY

## Equipments & Apparatus essential for Practicals

| Sl No. | Equipments/Apparatus | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Test Tubes | 10 sets |
| 2 | Boiling Tubes | 2 sets |
| 3 | Test tube stand | 20 |
| 4 | Test tube holder | 20 |
| 5 | Test tube brush | 20 |
| 6 | Round bottom flask | 10 |
| 7 | Flat bottom flask | 10 |
| 8 | Conical flask | 10 |
| 9 | Beaker | 30 |
| 10 | Burner | 20 |
| 11 | Reagent bottle | 10 |
| 12 | Funnel | 30 |
| 13 | Wire gauze | 30 |
| 14 | Tripod stand | 20 |
| 15 | China dish | 20 |
| 16 | Pestle and mortar | 10 |
| 17. | Watch glass | 20 |
| 18 | Pipette | 10 |
| 19 | Thermometer | 10 |
| 20 | Graduated cylinder | 10 |
| 22 | Glass rods | 20 |
| 23 | Pair of tongs | 15 |
| 24 | Iron stand | 15 |
| 25 | Delivery tube | 30 |
| 26 | Physical balance | 5 |
| 27 | Stop watch | 10 |
| 28 | Metre Scale (1m) | 15 |
| 29 | Metre Scale (½m) | 15 |
| 30 | Plane slides | 5 sets |
| 31 | Cover slip | 15 |
| 32 | Forceps | 15 |
| 33 | Microscope | 5 |
| 34 | Spirit lamps | 15 |
| 35 | Magnifying glass | 10 |
| 36 | pH-paper | 10 sets |
| 37 | Gas jar | 10 |
| 38 | Concave mirror | 15 |
| 39 | Rectangular slab | 10 |
| 40 | Convex lens | 15 |
| 41 | Grounded glass screen | 15 |

# CLASS X: SCIENCE & TECHNOLOGY

## Equipments & Apparatus essential for Practicals

| Sl No. | Materials/Chemicals | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Distilled water | 5 litre |
| 2 | Starch | 250 g |
| 3 | Filter paper | 15 packets |
| 4 | Hydrochloric acid | ½ litre |
| 5 | Sulphuric acid | ½ litre |
| 6 | Copper sulphate | ½ kg |
| 7 | Litmus paper | 5 packets |
| 8 | Sodium hydroxide | 500g |
| 9 | Lead nitrate | 500g |
| 10 | Ferrous sulphate | 500g |
| 11 | Rubber cork | 15 |
| 12 | Pumice stone | 200g |
| 13 | Needles | 1 pkt |
| 14 | Blade | 1 pkt |
| 15 | Safranine | 250 g |
| 16 | Glycerine | 250g |
| 17 | Methylene blue | 250g |
| 18 | Iodine | 500g |
| 19 | Dilute solution of ethanoic acid | ½ kg |
| 20 | Sodium bicarbonate | ½ kg |
| 21 | Sodium carbonate | ½ kg |
| 22 | Litmus solution (blue and red) | ½ kg |
| 23 | Copper turnings | 250g |
| 24 | Pottassium dicromate | 150g |
| 25 | Zinc sulphate | 250g |
| 26 | Pieces of Zn, Cu, Fe & Al | 250g |
| 27 | Ferrous sulphate | 250g |
| 28 | Alumunium sulphate | 250g |
| 29 | Acetic acid | ¼ litre |
| 30 | Ethyl alchol | ¼ litre |
| 31 | Pottassium hydroxide | 250g |
| 32 | D.C voltmeter (1.5V) | 10 |
| 33 | Resistor | 10 |
| 34 | D.C Ammeter (1.5A) | 10 |
| 35 | Rheostat | 10 |
| 36 | Plug key | 10 |
| 37 | Dry cell/Accumulate | 10 |
| 38 | Connecting wires | 5 metre |
| 39 | Prepared slides of binary fission of Amoeba and budding in yeast | 5 sets |
| 40 | Sand paper | 15 pin |
| 41 | Raisins with intact stalks | 250g |

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 517--300+500--शनि मुण्डा।